

धीरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गोपालगंज।
विविध वाद सं०-144/2025
राजेश प्रसाद गुप्ता बनाम मुन्नी देवी
आदेश की तिथि - 03.11.2025

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज

विविध वाद सं०-144/2025

राजेश प्रसाद गुप्ता आवेदक
बनाम
मुन्नी देवी विपक्षी

उपस्थित - धीरेन्द्र बहादुर सिंह, प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, गोपालगंज
आदेश की तिथि - 03.11.2025

03.11.2025

1. आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित है। आवेदक की ओर से शपथ-पत्र समर्थित संशोधन आवेदन दिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि वाद पत्र के पैरा-5 के पंक्ति सं०-2 में टंकक की त्रुटि के कारण "Alter" के स्थान पर "After" टंकित हो गया है। अतः प्रार्थना है कि न्यायहित में वाद पत्र के पैरा-2 के पंक्ति सं०-5 में "After" के स्थान पर "Alter" सुधार करने की अनुमति प्रदान करें।
3. सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु निर्धारित है। आवेदक का संशोधन आवेदन औपचारिक प्रकृति का है।
4. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वाद पत्र में आवेदन के आलोक में नियमानुसार संशोधन करें।

वाद दिनांक 11.11.2025 वास्ते ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु।

लेखा०,

प्रधान न्या०